फा. सं. एवी-13011/3/2016-डीटी
भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
नई दिल्ली, दिनांक 29.08.2017

<u>आदेश</u>

विषय: क्षेत्रीय हवाई संपर्क निधि (आरसीएफ) — अनुसूचित उड़ानों पर उपकर।

इस मंत्रालय के समसंख्यक आदेश दिनांक **09.11.2016** तथा **09.05.2017** में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने भारत के भीतर संचालित अनुसूचित उड़ानों पर **क्षेत्रीय हवाई संपर्क निधि (आरसीएफ)** के वित्तपोषण हेतु लगाए जाने वाले उपकर की प्रभावी तिथि में संशोधन करने तथा अगली समीक्षा तक **प्रति उड़ान ₹5,000/-** की समान दर से उपकर निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

उक्त उपकर अब दिनांक **01.09.2017** से प्रभावी होगा। दिनांक **09.11.2016** तथा दिनांक **09.05.2017** के आदेशों के अनुपालन में एयरलाइनों द्वारा पहले से जमा की गई राशि का समायोजन इस आदेश के अनुसार किया जाएगा। उपर्युक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित माने जाएंगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(**हस्ताक्षरित**)

(**उषा पाधी**)
संयुक्त सचिव, **भारत सरकार**
दूरभाष: 24617692

सेवा में,

1. **अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)** — आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. **महानिदेशक, नागर विमानन (डीजीसीए)** — संशोधित एआईसी जारी करने के अनुरोध सहित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. भारत सरकार के सभी विभागों के सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
4. महालेखा नियंत्रक।
5. सभी अनुसूचित एयरलाइंस।
6. सभी हवाईअड्डा संचालक।
7. प्रधान लेखा कार्यालय, नागर विमानन मंत्रालय।